



भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर

OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय : नव केंद्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

फोन नं. : 0141-2385359

स्थापना/शक्ति

फैक्स नं. : 0141-2385222

कार्यालय आदेश -06/2023

दिनांक : 31.07.2023

केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर में उप/सहायक आयुक्तों के अवकाश पर रहने / अनुपस्थित होने की स्थिति में, पूर्व में अनुमोदित नामांकन श्रंखला रखने वाली एक सुपरिभाषित व्यवस्था बनाने के लिए, निम्नानुसार नामांकन श्रंखला (लिक ऑफिसर) का अनुमोदन किया जाता है :-

क्र.सं	उप/सहायक आयुक्त	प्रथम नामांकित लिक अधिकारी	द्वितीय नामांकित लिक अधिकारी
1	Jeevan Ram Dhaka, AC	Rajesh Agarwalla, AC	Ashok Kumar, AC
2	Rajesh Agarwalla, AC	Ashok Kumar, AC	Jeevan Ram Dhaka, AC
3	Ashok Kumar, AC	Rajesh Agarwalla, AC	Jeevan Ram Dhaka, AC
4	CGST & CX, DIV-A, Jaipur	CGST & CX, DIV-B, Jaipur	CGST & CX, DIV-C, Jaipur
5	CGST & CX, DIV-B, Jaipur	CGST & CX, DIV-C, Jaipur	CGST & CX, DIV-A, Jaipur
6	CGST & CX, DIV-C, Jaipur	CGST & CX, DIV-A, Jaipur	CGST & CX, DIV-B, Jaipur
7	CGST & CX, DIV-D, Jaipur	CGST & CX, DIV-G, Jaipur	CGST & CX, DIV-H, Jaipur
8	CGST & CX, DIV-E Jaipur	CGST & CX, DIV-I, Jaipur	CGST & CX, DIV-D, Jaipur
9	CGST & CX, DIV-F, Jaipur	CGST & CX, DIV-H, Jaipur	CGST & CX, DIV-I, Jaipur
10	CGST & CX, DIV-G, Jaipur	CGST & CX, DIV-H, Jaipur	CGST & CX, DIV-I, Jaipur
11	CGST & CX, DIV-H, Jaipur	CGST & CX, DIV-I, Jaipur	CGST & CX, DIV-D, Jaipur
12	CGST & CX, DIV-I, Jaipur	CGST & CX, DIV-D, Jaipur	CGST & CX, DIV-G, Jaipur
13	CGST & CX, DIV-J, Ajmer	CGST & CX, DIV-K, Ajmer	CGST & CX, DIV-I, Jaipur
14	CGST & CX, DIV-K, Ajmer	CGST & CX, DIV-J, Ajmer	CGST & CX, DIV-H, Jaipur

नोट:

- उक्त व्यवस्था में लिक ऑफिसर्स के अनुपस्थित होने की स्थिति में अतिरिक्त कार्यभार के लिए अलग से आदेश जारी नहीं किए जाएंगे।
- उक्त आधार पर संभागीय उप/सहायक आयुक्तों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में अधीक्षक स्तर पर लिक ऑफिसर व्यवस्था लागू की जाएगी।
- यह व्यवस्था प्रत्येक अधिकारी को प्रदत्त आरटीआई एवं अन्य कार्यभार से सम्बंधित उत्तरदायित्वों के लिए भी सामान रूप से लागू होगी।

यह आदेश प्रधान आयुक्त महोदय की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

(ऋषि यादव)

अपर आयुक्त

फा.सं. II-3(08)स्था./जेपीआर/2017/ 1220

दिनांक:- 31.07.2023

- संयुक्त आयुक्त (सी.सी.ओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर।
- अपर /संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
- उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग _____ जयपुर /अजमेर।
- मुख्य लेखाधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
- शाखा प्रभारी _____, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
- विभागीय वेबसाइट <https://cgstjaipur.gov.in/> पर अपलोड हेतु।
- निजी प्रति।

Signed by Rishi Yadav
Date: 31-07-2023 17:53:56
Reason: Approved